न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 01 / 2022

1 कैलाशचन्द्र सैनी पुत्र श्री सुरजाराम उम्र 72 वर्ष, जाति माली, पेशा खेती, निवासी गोरिया, तन धनावता तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत सैक्शन 75 (ख) भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांकित 11.11.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कम अध्यक्ष राजस्व भूमि नियमन कमेटी उपखण्ड क्षेत्र उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू प्रार्थना पत्र उनवानी कैलाशचन्द्र सैनी बनाम राज. सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत भू–राजस्व भूमि नियमन करने हेतु।

उपस्थिति :

1. श्री महीपाल सिंह कपुरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 24-1-25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र बाबत भूमि नियमन करने हेतु दिनांक 11.11.2021 को प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज किये बिना, सुनवाई किये बिना, विधिक प्रकिया अपनाये बिना उसी दिन प्रार्थना पत्र की पुश्त पर चार लाइन में आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत प्रार्थी के अधिवक्ता को सुने बिना, प्रकरण दर्ज किये बिना, विधिक प्रकिया अपनाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपीलांट को जानकारी होने पर जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। धारा 5 का आवेदन एवं अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

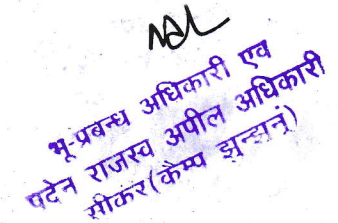

आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत प्रार्थी के अधिवक्ता को सुने बिना, प्रकरण दर्ज किये बिना, विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.02.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24-1-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सीकरिया),
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर